Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में राजस्व पटवारी तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 3000/-रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *18 अगस्त, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राकेश कुमार हाल हल्का पटवारी रमायदलपत तहसील पिड़ावा तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) समीर अंसारी निवासी पिड़ावा जिला झालावाड़ को परिवादी से **3000/-रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे परिजन द्वारा खरीदी गई जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने की एवज में हल्का पटवारी रमायदलपत तहसील पिड़ावा द्वारा **3000/-रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए राकेश कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी खेरखेड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़, हाल रिजर्व पटवारी तहसील पिड़ावा, हाल अतिरिक्त चार्ज हल्का पटवारी रमायदलपत तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) समीर अंसारी पुत्र रहीश अंसारी निवासी स्टेट ऑफ इण्डिया के सामने, पार्वती कॉलोनी पिडावा जिला झालावाड़ को परिवादी से **3000/-रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।